

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्रक0क0:-1223 / 2014

संस्थित दिनांक:-15.02.2015

फाईलिंग नं.234503009962014

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र बिरसा जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

बोधीलाल उर्फ बोधीराम पिता बाबूराम केकती, उम्र-48 साल,
जाति तेली, निवासी ग्राम बोरी चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

!! निर्णय !!

(दिनांक 05/06/2018 को घोषित किया गया)

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 08.12.2014 को समय दिन के 10:30 बजे चौकी सालेटेकरी आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी आंगनवाड़ी स्कूल के सामने में फरियादी हिरोबाई को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी हिरोबाई को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने, फरियादी हिरोबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा-294, 323, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 08.12.2014 को समय 10:30 बजे फरियादी हीरोबाई ग्राम बोरी के आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने गयी थी और जब वह स्कूल के सामने खड़ी थी, उसी समय उसका पति आरोपी बोधीलाल आया और फरियादी से कहा कि वह उसके साथ नहीं रहती हैं तो तलाक दे दे। जिस पर फरियादी ने आरोपी को तलाक देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर हाथ-मुक्कों से मारपीट किया तथा जान से मारने की धमकी भी दिया। जिसके उपरांत फरियादी हीरोबाई ने चौकी सालेटेकरी में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना बिरसा के अप0क0-168/14 धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में

लिया गया। फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.12.2014 को समय दिन के 10:30 बजे चौकी सालेटेकरी आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी आंगनवाड़ी स्कूल के सामने में फरियादी हिरोबाई को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हीरोबाई को मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हीरोबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

विचारणीय प्रश्न कमांक-01

06. हीरोबाई अ.सा.01 ने बताया कि उसे आरोपी ने गंदी-गंदी गालियां दी, जो सुनने में उसे बुरी लगी, किन्तु फरियादी ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि आरोपी ने उसे कौन-कौन सी गंदी गालियां दी थी। साक्षी ने गालियों की अश्लील प्रकृति के बारे में भी नहीं बताया है। सुरेन्द्र कुमार अ.सा.02, सुमनबाई अ.सा.03, नारायण अ.सा.05 ने आरोपी द्वारा गाली गलौच किये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों ने गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी उक्त साक्षियों ने आरोपी बोधीलाल द्वारा गाली-गलौच किये जाने से इंकार किये हैं।

इस प्रकार उक्त साक्षियों ने गालियों के बारे में तथा उसकी अश्लील प्रकृति के बारे में नहीं बताया है। उक्त साक्षियों ने गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में भी नहीं बताया है। फलतः आरोपी बोधीलाल द्वारा फरियादी हीरोबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-02

07. हीरोबाई अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी बोधीलाल उसका पति है। घटना वर्ष 2014 में दिन के 10:30 बजे ग्राम बोरी की है। वह आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गयी थीं। उसका पति आंगनबाड़ी स्कूल में आया और उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट किया था। जिससे उसके हाथ-पैर में चोटे आयी थी। सुमनबाई और सुरेश ने बीच-बचाव किया था। घटना के उपरांत उसने सालेटेकरी चौकी में घटना की रिपोर्ट प्रपी-01 पंजीबद्ध कराया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-02 तैयार कर उसका बयान लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी से लगभग 7 माह पूर्व से अलग रह रही है किन्तु इससे इंकार किया है कि आरोपी ने उसे अलग रखा है, इसके कारण उसने झूठी रिपोर्ट की है तथा यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं बताया था, उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था।

08. सुरेन्द्र अ.सा.02 ने बताया है कि आरोपी बोधीलाल और फरियादी हीरोबाई को जानता हूँ। वह बोरी के प्राथमिक स्कूल में रहता है। पुलिस ने आरोपी और फरियादी के मध्य झगड़े के बारे में उससे पूछताछ की थी तब उसने कोई जानकारी नहीं होना बता दिया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी बोधीलाल ने हीरोबाई को तलाक देने से मना करने पर मारपीट किया था। साक्षी ने पुलिस को प्रपी-03 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

09. सुमनबाई अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी बोधीलाल और फरियादी हीरोबाई को जानती है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 08.12.14 को आरोपी ने आंगनबाड़ी के बाहर फरियादी हीरोबाई को मारपीट की थी। साक्षी ने पुलिस को प्रपी-04 का कथन देने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

10. नारायण अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी बोधीलाल को जानता है। वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। शोर होने के पश्चात वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसे लोगों ने बताया कि आरोपी ने हीरोबाई के साथ मारपीट किया था। उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि घटना के बारे में उसे किसी ने जानकारी नहीं दिया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान नहीं लिया था। इस प्रकार साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11. फरियादी हीरोबाई अ.सा.01 ने बताया कि मारपीट से उसे हाथ एवं पैर में चोटें आयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 में फरियादी ने अपने दाहिने पैर, पीठ में चोट एवं चड़ी टूटने से दांये हाथ की कलाई में चोट आना लेखबद्ध कराया था। ऐसे में यह विचार किया जाना है कि क्या वास्तव में फरियादी के शरीर पर चोट थी। डॉक्टर सुनील सिंह अ.सा.04 ने बताया कि दिनांक 08.12.14 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह में उसने आहत हीरोबाई पति बोधीलाल का मेडिकल परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान उसने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया था। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-05 है। इस प्रकार आहत हीरोबाई ने अपने शरीर पर चोट होना बताया है किन्तु मेडिकल परीक्षण के दौरान आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया गया है। जिससे आहत की चोट मेडिकल रिपोर्ट से एवं चिकित्सक साक्षी के कथन से समर्थित नहीं हैं। आहत द्वारा चोट के संबंध में किया गया कथन विश्वास योग्य नहीं है।

12. इस प्रकार फरियादी हीरोबाई ने आरोपी के द्वारा मारपीट किया जाना एवं मारपीट से हाथ-पैर में चोट आना बताया है किन्तु मेडिकल परीक्षण

के दौरान आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया गया है। जिससे आहत की चोट मेडिकल रिपोर्ट से एवं चिकित्सक साक्षी के कथन से समर्थित नहीं हैं। आहत द्वारा चोट के संबंध में किया गया कथन विश्वास योग्य नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र कुमार अ.सा.02, सुमनबाई अ.सा.03, नारायण अ.सा.05 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। धारा 323 भा.दं.वि. के लिये अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आहत के शरीर पर कोई चोट, शारीरिक पीड़ा या अंग-शैथिल्य कारित की गयी, किन्तु चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-05 में भी आहत के शरीर पर कोई चोट का उल्लेख नहीं है। जिससे धारा 323 भा.दं.वि. का आवश्यक तत्व भी प्रमाणित नहीं है एवं उपरोक्त परिस्थिति में आरोपी द्वारा मारपीट कर फरियादी को उपहति कारित किये जाने का तथ्य संदेहास्पद हो जाता है। जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो वहाँ संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007(3) म.प्र.लॉ.ज.372 म.प्र. अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-03

13. हीरोबाई अ.सा.01 ने बताया कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दिया था, किन्तु हीरोबाई ने धमकी सुनकर भयभीत होने या धमकी के अग्रसरण में आरोपी द्वारा कोई पश्चातवर्ती कार्य करने के बारे में नहीं बताया है। सुरेन्द्र अ.सा.02, सुमन अ.सा.03, नारायण अ.सा.05 ने आरोपी बोधीलाल द्वारा फरियादी हीरोबाई को जान से मारने की धमकी दिये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों ने यह नहीं बताया है कि फरियादी हीरोबाई आरोपी की धमकी को सुनकर भयभीत हो गयी थी या उसे जान का भय पैदा हो गया था। उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताये है कि आरोपी ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी हीरोबाई को संत्रास

कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.12.2014 को समय दिन के 10:30 बजे चौकी सालेटेकरी आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी आंगनवाड़ी स्कूल के सामने में फरियादियां हिरोबाई को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादियां हिरोबाई को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित किया, फरियादियां हिरोबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-294, 323, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है।

16. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही / —
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)